

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

निदेशक,
पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र निदेशालय,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:-

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना अन्तर्गत राजकीय उर्दू पुस्तकालय को स्थापना मद में अतिरिक्त आवंटन ।

महोदय,

मॉग संख्या-21., मुख्य शीर्ष-2205-कला एवं संस्कृति, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-105 सार्वजनिक पुस्तकालय, उप शीर्ष-0001-सार्वजनिक पुस्तकालय विपत्र कोड संख्या- एन 2205001050001, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्थापना मद हेतु अंकित राशि रुपये 8,06,500 /-(आठ लाख छः हजार पाँच सौ रुपये) मात्र आपको निम्न प्रकार आवंटित की जाती है ।

विवरणी

क्रमांक	कोड संख्या/ मद	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1.	01 01-वेतन	7,50,000	2,39,500	9,89,500
2	01 03-जी0या0भ0	8,85,000	3,00,000	11,85,000
3	01 04-म0 कि0 भ0	61,800	0	61,800
4	01 05-परिवहन भ0	11,200	0	11,200
5	01 06-चि0 भ0	4,800	0	4,800
6	01 07-अन्य भत्ता	4,200	0	4,200
	योग वेतन एवं भत्ते:-	17,17,000	5,39,500	22,56,500
7	11 01-यात्रा व्यय	6,000	10,000	16,000
8	13 01-कार्यालय व्यय	60,000	60,000	1,20,000
9	13 03-दूरभाष	3,000	12,000	15,000
10	13 04-विद्युत प्रभार	82,500	1,00,000	1,82,500
11	13 06-वर्दी/पोशाक	0	5,000	5,000
12	14 01-किराया महसूल एवं कर	0	80,000	80,000
	कुल योग :-	18,68,500	8,06,500	26,75,000
कुल राशि 8,06,500 /-(आठ लाख छः हजार पाँच सौ रुपये) मात्र				

2. इस विपत्र कोड में स्वीकृत्यादेश संख्या-242 दिनांक-16.10.2015 से पुनर्विनियोग द्वारा 01 01 वेतन में रू0 7,00,000/- (सात लाख रू0) मात्र, 01 03-जीवन यापन भत्ता में रू0 8,10,000/- (आठ लाख दस हजार रू0) मात्र एवं 11 01-यात्रा व्यय में रू0 1,00,000/- (एक लाख रू0) मात्र अर्थात् कुल रूपये 16,10,000/- (सोलह लाख दस हजार रू0) अतिरिक्त राशि का उपबंध कराया गया है।
3. मासिक व्यय विवरणी प्रतिमाह अवश्य भेजी जाए। व्यय विवरणी वांछित प्रपत्र में अपने या अधीनस्थ सभी निकासी पदाधिकारियों को सम्मिलित कर भेजा जाए। टी0भी0 नम्बर के अभाव में विपत्र की निकासी की वास्तविक निधि एवं तिथि अवश्य अंकित करें।
4. मितव्ययिता अवश्य बरतें।
5. पत्र प्राप्ति की सूचना अवश्य दें।
6. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि0(2) दिनांक-17.04.1998 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है। राशि की निकासी उक्त परिपत्र के आलोक में ही किया जाय।
7. कोषागार से विपत्र की निकासी करते समय प्राप्त आवंटित के शीर्ष का ही मोहर लगाया जाए।
8. उक्त राशि की निकासी एवं व्यय स्वीकृत्यादेश में अंकित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।
9. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रपत्र के महालेखाकार, बिहार, पटना को समर्पित किया जाये।
10. राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जाये।
11. इस संदर्भ में पूर्व निर्गत आवंटनादेश संख्या-283 दिनांक-22.12.2015 को रद्द किया जाता है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(सुनील कुमार सिंह),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 303

पटना, दिनांक 6/1/16

प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी/निदेशक (शोध एवं प्रशिक्षण)/अवर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-05/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/3/16

(सुनील कुमार सिंह),

सरकार के संयुक्त सचिव।

शुभारम्भ